

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति)

(आठवां संशोधन) विनियम, 2009

(2009 का संख्याक 6)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

सं. 5-2/2005-प्र0एवंका0 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1.(1) इस विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (आठवां संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001, (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान विनियम कहा गया है), की अनुसूची I में,-
(क) सचिव के पद के सम्मुख, "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, "21 वर्ष का अनुभव" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "अट्ठाईस वर्ष का अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख,-
(अ) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, "21 वर्ष का अनुभव" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "पच्चीस वर्ष का अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत,-
(I) प्रविष्टि (ii) में, "4 वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "छह वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
"(iii) गुप क अधिकारी जिसके पास गुप क में छब्बीस वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसमें से कम से कम छह वर्ष की निरंतर सेवा एसएजी में होगी";

(ग) सलाहकार के पद के सम्मुख,—
(अ) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, "17 वर्ष का अनुभव" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "बीस वर्ष का अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत,—
(I) प्रविष्टि (ii) में, "4 वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "छह वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—
"(iii) ग्रुप क अधिकारी जिसके पास ग्रुप क में बीस वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें से कम से कम छह वर्ष की निरंतर सेवा प्रवरण ग्रेड में होगी";
(घ) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख,—
(अ) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, "14 वर्ष का अनुभव" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "सोलह वर्ष का अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत,—
(I) प्रविष्टि (ii) में, "4 वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "पांच वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—
"(iii) ग्रुप क अधिकारी जिसके पास ग्रुप क में सोलह वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होगी";
(ङ) उप-सलाहकार के पद के सम्मुख,—
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत,—
(I) प्रविष्टि (ii) में, "4 वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "पांच वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—
"(iii) ग्रुप क अधिकारी जिसके पास ग्रुप क में दस वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा वरिष्ठ समय-मान में होगी";
(च) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के सम्मुख,—
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि में, मद (ii) में, "7 वर्ष की संयुक्त सेवा" शब्दों के पश्चात "नियमित आधार पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
(छ) अंत में टिप्पणी 5 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:—
"टिप्पणी 6.— (i) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल कोई अधिकारी, जो सलाहकार का पद धारण कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अध्यक्षीन, समूह क में अथवा समकक्ष ग्रेड में 28 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरांत, जिसमें से न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 10 वर्ष की सेवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में होगी, प्रधान सलाहकार के आगामी उच्च ग्रेड में वैयक्तिक उन्नयन के लिए अर्हक होगा।

(ii) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल कोई अधिकारी, जो संयुक्त सलाहकार का पद धारण कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अध्यक्षीन, समूह क में अथवा समकक्ष ग्रेड में 22 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरांत, जिसमें से न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 10 वर्ष की सेवा संयुक्त सलाहकार ग्रेड में अथवा किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में होगी, प्रधान सलाहकार के आगामी उच्च ग्रेड में वैयक्तिक उन्नयन के लिए अर्हक होगा।
(iii) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "निरंतर सेवा" का अर्थ प्रासंगिक ग्रेड अथवा पद में बिना किसी बाधा के निरंतर की गई सेवा है, जिसमें इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि ऐसी सेवा अधिकारी के मूल संवर्ग में अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा प्राधिकरण में की गई है।
(iv) खंड (i) और खंड (ii) में उल्लिखित वैयक्तिक उन्नयन के लिए "10 वर्ष की सेवा" की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसी सेवा का अर्थ होगा अधिकारी के मूल संवर्ग में अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा प्राधिकरण में प्रासंगिक ग्रेड में कोई सेवा, जिसमें बीच में किसी व्यवधान अथवा अन्य व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(v) आगामी उच्च ग्रेड में उन्नयन निम्न ग्रेड में पद धारण करने वाले अभ्यर्थी के लिए वैयक्तिक होगा तथा जब कभी भी अभ्यर्थी उन्नयित पद को रिक्त करेगा, उन्नयित पद अपने मूल निम्न पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।"

(बिनोद कुमार)

सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

टिप्पणी – प्रधान विनियम संख्या 5-4/2000 (प्र0एवंका0) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

संशोधन	संख्या और तारीख
पहला	1-6/2002-प्र0एवंका0 दिनांक 22 जनवरी, 2004
दूसरा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-I) दिनांक 11 मई, 2004
तीसरा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 17 जून, 2004
चौथा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 10 मई, 2005
पांचवां	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 26 मई, 2006
छठा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 09 अक्टूबर, 2006
सातवां	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 31 दिसम्बर, 2008